तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	27/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों ... / P.O. सा० राज्य कार्य ... होने से बमरन तारीख पेशी ... की पालना में दिनांक .... को पेश हो। ह॰...
06/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप॰। वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने, पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रा॰पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सि॰प्र॰सं॰ स्वीकार किया जाता है। निर्णय डिक्री दिनांक 14/05/2022 तथा संशोधित आदेश दिनांक 19/07/2022 में तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संशोधन स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल वाद में उक्त आदेश अनुसार लाल स्याही से संशोधन किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी होकर प्रकरण कैसलयुमार किया जाकर मूलवाद के शामिल हो। ह॰ 06/3/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट–बाँदीकुई

मु.न 103/2022
प्रार्थना पत्र धारा 151,152
निर्णय दिनांक 06.03.2025

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र कल्याण सहाय जाति मीना निवासी धनावड तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।

–:प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बल्ला
2. जगदीश पुत्र बल्ला
3. रामकिशोर पुत्र बल्ला
4. विश्राम पुत्र बल्ला
5. छोटा देवी पत्नि स्व. बल्ला समस्त जाति मीना निवासी धनावड तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
6. हरसरी उर्फ भूरी पुत्री बल्ला. पत्नि रामेश्वर उम्र 38 वर्ष जाति मीना निवासी दलापुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. हरपती उर्फ काली पुत्री बल्ला पत्नि गिर्राज उम्र 38 वर्ष निवासी सिंडोली तहसील दौसा, जिला दौसा।
8. भौरी देवी पत्नि स्व. घम्मन
9. सुरेश पुत्र स्व. धम्मन
10. रामदयाल पुत्र स्व. घम्मन
11. रामकुवांर पुत्र पांचू
12. नारायण पुत्र पांचू
13. गिर्राज पुत्र पांचू

    समस्त जाति मीना निवासी, धनावड तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
14. यूको. बैंक शाखा बांदीकुई जरिये प्रवन्धक
15. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई जरिये प्रबन्धक
16. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया जरिये शाखा प्रबन्धक
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई।

–:अप्रार्थीगण

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सि.प्र.सं.

निर्णय

दिनांक 06.03.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सि.प्र.सं. का पेश किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा वाद्यत्र घम्मन बनाम रामरिछपाल दावा स्थाई निषेधाज्ञा एंव तकास्मा का अन्तिम निर्णय दिनांक 14/05/2022 को फरमा दिया गया एवं जिस पर संशोधित आदेश दिनांक 19/07/2022 को जारी कर माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के पूर्व में प्राथमिक डिकी को निर्णित कर अन्तिम डिक्री पर भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में निर्णय अनुसार इन्द्राज करने के आदेश फरमाये गये। पूर्व वाद में पक्षकार बल्ला व कल्याण सहाय थे लेकिन दौराने दावा निर्णय के पश्चात बल्ला व कल्याण की मृत्यु हो गई इसलिये कल्याण के वारिसान प्रार्थी व बल्ला के वारिसान अप्रार्थीगण के रूप में दर्शाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। पूर्व वादपत्र में अप्रार्थी संख्या 14 यूको बैंक शाखा बांदीकुई अप्रार्थी संख्या 15 बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई एंव अप्रार्थी संख्या 16 बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया पक्षकार नहीं थे। लेकिन अप्रार्थीगण 01 लगायत 13 द्वारा अप्रार्थी संख्या 14, 15, 16 के यहाँ से विवादित भूमि जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिस पर पूर्व से ही रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया था जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 14, 15,16 के यहाँ रहन रखी गई है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज है। प्रार्थी जो कि कल्याण सहाय का पुत्र है कल्याण सहाय द्वारा पूर्व में किसी प्रकार का अप्रार्थी संख्या 14,15,16 के यहाँ से ऋण प्राप्त नहीं किया था। पूर्व में भूमि ग्राम धनावड के खाता संख्या 68 जिसके खसरा नम्बर 1281, 1286, 1287, 1288, 1290, 1293, 3573/438, 3574/441, 3576/443, 3579/444, 3581/447, 3583/448 3585/449, 3587/1289, 3588/1291, 3591/1295, 426, 439, 442, 445, 446, 450, 451, 452 कुल किता 24 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर व खाता नम्बर 27 जिसके खसरा नम्बर 1283, 1285, 1292, 1294, 3586/1289, 3589/1291, 3590/1295 कुल खसरा 07 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 28 खसरा नम्बर 1252, 1253 कुल किता 02 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि है। वर्णित भूमि के निर्णित पक्षकारों के मध्य निर्णय होने पर माननीय तहसीलदार के यहाँ खाते में इन्द्राज होने के लिये भिजवाया गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने से पूर्व यह पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा जो ऋण अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 14, 15, 16 के यहाँ से ऋण ले रखा था भूमि के बंटवारे के समय उक्त खसरा नम्बरान के हिस्से अनुसार अलग अलग करने पर विधिक रूप से बंटवारे में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को वर्तमान खातां व प्रस्तावित कुरेजात में कुछ संशोधन कर इन्द्राज करना आवश्यक हो गया था जिसके लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा डिकी में दर्ज जमाबन्दी के खाते में खसरा नम्बर 414 अंकन हो गया है। जबकि डिक्री में कुरेजात के खाते में खसरा नम्बर 416 दर्ज है। जो पक्षकारान की खातेदारी भूमि का है माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में जमाबन्दी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 414 के स्थान पर खसरा नम्बर 416 दर्ज किया जाना आवश्यक है। पक्षकारान की ग्राम धनावड वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 28 में खसरा नम्बर 1252, 1253, में खातेदार अप्रार्थी संख्या 11, 12, 13 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 14 के यहाँ रहन दर्ज है एंव अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 05, 06, 07 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या

Scanned with OKEN Scanner

15 के यहाँ एंव अप्रार्थी संख्या 08. 09, 10 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 16 के यहाँ रहन दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 1252, 1253 मुताबिक डिक्री के खातेदार प्रार्थी के पिता कल्याण पुत्र रेवड के खाते में बिना रहन दर्ज होनी है।ग्राम धनावड खसरा नम्बर 1281, 1286, 1287, 1288, 1290, 3587/1289 मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 68 के अप्रार्थी संख्या 11, 12, 13 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 14 के यहाँ रहन दर्ज है एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 व 08 लगायत 10 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 16 के यहाँ रहन दर्ज है। जबकि मुतदाबिक डिकी के खसरा नम्बर 1281, 1286, 1290, 3587/1289 सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 1287, 1288 के आंशिक भाग खातेदार प्रार्थी कल्याण पुत्र रेवड के खाते में बिना रहन दर्ज होनी है। खसरा नम्बर 1292, 1294, 3589/1291, 3590/1295, 1285 मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 27 प्रार्थी के पिता कल्याण पुत्र रेवड के खाते में बिना रहन दर्ज है जबकि उक्त खसरा नम्बर मुताबिक डिक्री के अप्रार्थीगण 11, 12, 13 के हिस्से के हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 14 एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 एंव अप्रार्थीगण संख्या 08 लगायत 10 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 16 के रहन दर्ज होनी है। डिक्री में दर्ज वर्तमान खाता स्थिति ग्राम धनावड में खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 08 लगायत 10 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 16 के रहन दर्ज है जबकि प्रस्तावित कुरेजात के खाते में अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 10 का हिस्सा बिना रहन अंकित है। जो अशुद्ध है एंव वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 68 घम्मन के वारिसान अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 10 के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 16 के यहाँ रहन दर्ज है। डिकी में भी प्रस्तावित कुरेजात के खाते में ग्राम धनावड के खसरा नम्बर 3590/1295 किता 25 रकबा 2.64 हैक्टेयर में खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 11, 12, 13 का हिस्सा 3/05 के बजाय 2/03 दर्ज है जिससे सम्पूर्ण खाते का योग एक समान हिस्सा नही होता है। इसलिये मुताबिक जमाबन्दी अनुसार डिकी के प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में अप्रार्थी संख्या 11, 12, 13 का हिस्सा 3/05 शुद्ध किया जाना आवश्यक है। पक्षकारान के मौके पर भूमि हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निर्णय पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद पक्षकारों के मध्य नहीं है। लेकिन कुछ लेखन व अंकन अशुद्वियों के कारण पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन होना प्रतीत हो रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 लंगायत 06 में वर्णित अंकन अशुद्धियों व पूर्व में यूको बैंक शाखा बांदीकुई, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई व बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा लिये गये ऋण व उन्हें पूर्व में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण विसंगतियों उत्पन्न हो गई थी जिनका निराकरण करने क लिये माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 17 को निर्देशित कर रिपोर्ट मंगवाई जाकर उक्त जो अशुद्धियों व विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई है उनका निराकरण कर पक्षकार को न्याय प्रदान कर उनके राजस्व रिकॉर्ड में सम्बन्धित त्रुटीयों को संशोधित कर अमल करवाया जाना आवश्यक हुआ है। जिससे भविष्य में पक्षकारो को किसी भी प्रकार की राजस्व व भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न न हो एंव पक्षकारान सुख शान्ति पूर्वक बिना किसी विवाद के भूमि पर निर्वहन कर सके। उक्त विवादित भूमि का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चय किया गया है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है। उक्त अंकन त्रुटियों की जानकारी होने व बैंक को पक्षकार न होने पर हल्का पटवारी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना पर संकट उत्पन्न होने पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त तथ्यों को बताये जाने पर जिनके बिना राजस्व रिकॉर्ड में अमल होना असम्भव है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी द्वारा दी गई जानकारी से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः श्रीमानजी की सेवामें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को गौर फरमाते हुये उचित रूप से सही अंकन कर उनमें आंशिक संशोधन करते हुये निर्णय पारित करें।

प्रकरण में तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 व 06 लगायत 13 की ओर से एड. श्री भवानी सहाय वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 व 6 ला. 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट चाही गई। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक राजस्व/24/73 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसके संलग्न पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को न्यायालय में भिजवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में निम्न प्रकार रिपोर्ट पेश की गई है कि प्रकरण संख्या 181/2019 उनवान घम्मन बनाम रामरिछपाल में संशोधित निर्णय आदेश दिनांक 19.7.2022 में पारित डिक्री में दर्ज जमाबन्दी के खाते में ख.न. 414 संबंधित पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज नही है एवं डिकी में कुर्रेजात के खाते में ख.न. 416 दर्ज है जो संबंधित पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज है। अतः डिकी में जमाबन्दी के खाते में दर्ज ख.न. 414 के स्थान पर ख.न. 416 दर्ज किया जाना उचित है। मुताबिक ग्राम धनावड की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 28 में खसरा नम्बर 1252, 1253 में खातेदार गिर्राज, नारायण, रामकुवार पि. पांचू के हिस्से की भूमि यू.को. बैक शाखा बांदीकुई के रहन दर्ज है। एवं बल्ला पुत्र पांचू के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई, भोरी देवी पत्नी स्व. घम्मन, राजूप्रसाद , रामदयाल, सुरेश पि. घम्मन के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज है। जबकि उक्त ख.न. 1252, 1253 मुताबिक डिकी के खातेदार कल्याण पुत्र रेवड के खाते में बिना रहन दर्ज होने है। ऐसी स्थिति में डिकी की पालना संबंधित बैक की एनओसी के बिना सम्भव नही है। खसरा नम्बर 1281, 1286, 1287, 1288, 1290, 3587/1289 मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 68 के गिर्राज, नारायण, रामकुवार पि. पांचू के हिस्से की भूमि यू.को बैक शाखा बांदीकुई के रहन दर्ज है एवं बल्ला पुत्र पांचू भौरी देवी पत्नी स्व. घम्मन ,राजूप्रसाद, रामदयाल, सुरेश पि. घम्मन के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज है। जबकि मुताबिक डिकी के ख.न. 1281, 1286, 1290, 3587/1289 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1287, 1288 के आंशिक भाग खातेदार कल्याण पुत्र रेवड के खाते में बिना रहन दर्ज होने है। ऐसी स्थिति में डिकी की पालना संबंधित बैक की एनओसी बिना सम्भव नही है। खसरा 1292, 1294, 3589/1291 एवं 1285 मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 27 के कल्याण पुत्र रेवड के खाते में बिना रहन दर्ज है जबकि उक्त ख.न. मुताबिक डिकी के गिर्राज, रामकुवार, नारायण पि. पांचू के हिस्से में यू.को. बैक शाखा बांदीकुई एवं बल्ला पुत्र पांचू, भौरी देवी पत्नी स्व. घम्मन, राजूप्रसाद, रामदयाल, सुरेश पि. घम्मन के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज होनी है ऐसी स्थिति में संबंधित बैक की एनओसी के बिना डिकी की पालना किया जाना सम्भव नही है। डिकी में दर्ज वर्तमान खाता स्थिति में खातेदार घम्मन पुत्र प्रभात्या के हिस्से कि भूमि बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज है जबकि प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में घम्मन पुत्र प्रभात्या का हिस्सा बिना रहन अंकित है जो अशुद्ध है एवंम वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 68 में भी घम्मन के वारिसान भौरी देवी पत्नी घम्मन, राजूप्रसाद, रामदयाल, सुरेश पि. घम्मन के हिस्से की भूमि बैक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज है अतः डिकी में भी प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में घम्मन पुत्र प्रभात्या का हिस्सा बैक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज शुद्ध किया जाना उचित है। डिकी में प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में ख.न. 3590/1295 किता 25 रकबा 2.64 है. में खातेदार रामकुवार, नारायण, गिर्राज पि. पांचू का हिस्सा 3/5 के बजाय 2/3 दर्ज है जिससे सम्पूर्ण खाते का योग एक नही होता है। अतः मुताबिक जमाबन्दी अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री के प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में रामकुवार, नारायण, गिर्राज पि. पांचू का हिस्सा 3/5 हि. ब. शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा न्यायिक दृष्टांत Aruna Derashri Vs. District Judge, Bhilwara (Dr. Bhati, J.) 2020 (1) आरएलडब्लयू पेज नं. 29 पेश किया। न्यायालय द्वारा वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया पत्रावली मे ग्राम धनावड की जमाबन्दी के खाता संख्या नया 27, 28, 68, 208, 249, 251 एवं प्रकरण घम्मन बनाम रामरिछपाल के आदेश दिनांक 14.05.2022 तथा संशोधित आदेश दिनांक 19.07.2022 तथा तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के संशोधित आदेश दिनांक 19.07.2022 में तथा राजस्व रिकार्ड में अन्तर पाया गया है। जो तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2024 के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। बैक ऋण का भार वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ही संबंधित काश्तकार पर ही रखा जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र धारा 151,152 सि.प्र.सं. को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/616 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनवान घम्मन बनाम रामरिछपाल प्रकरण संख्या 181/2019 निर्णय दिनांक 14.05.2022 संशोधित आदेश दिनांक 19.07.2022 में संशोधन किया जावे कि डिक्री दर्ज खसरा नम्बर 414 के स्थान पर कुर्रेजात के अनुसार 416 दर्ज किया जावे। डिक्री में प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में ख.न. 3590/1295 किता 25 रकबा 2.64 है. में खातेदार रामकुवार, नारायण, गिर्राज पि. पांचू का हिस्सा 3/5 के बजाय 2/3 दर्ज है जिसे मुताबिक जमाबन्दी अनुसार डिक्री के प्रस्तावित कुर्रेजात के खाते में रामकुवार, नारायण, गिर्राज पि. पांचू का हिस्सा 3/5 हि. ब. शुद्ध किया जावे। डिक्री में दर्ज वर्तमान खाता स्थिति में खातेदार घम्मन पुत्र प्रभात्या के हिस्से कि भूमि बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के रहन दर्ज है इसी अनुसार प्रस्तावित कुरैजात के खाते में धम्मन पुत्र प्रभात्या का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया के नाम बैंक रहन दर्ज की जावे। उक्त संशोधन मूल वाद में लालस्याही से किया जावे तथा जिन काश्तकार पर जमाबन्दी में बैंक ऋण का भार दर्ज है वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार उन काश्तकार पर ही बैंक ऋण रखा जावे। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 निर्णय डिक्री दिनांक 14.05.2022 संशोधित आदेश दिनांक 19.07.2022 का पार्ट रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई उक्त आदेश का अमल दरामद नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। उक्त पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के हमफिता हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

6/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner